

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34/22  
(जीसीएमएस संख्या 2022/67)

निर्णय दिनांक:- 16.11.2023

1. रामावतार पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी पूलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 28-01-2022  
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़



उपस्थिति:-

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28-01-2022 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील छत्तरगढ़ में चक 13 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 121/9 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया, जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज रिकार्ड भूमि है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।



4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते 13 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 121/9 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उपनिवेशन विभाग के परिपत्र एफ 4 (2)उप/2008 दिनांक 21-04-2010 के द्वारा ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदक द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण आवंटन आदेश जारी नहीं हुए हो, उनके बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है कि मात्र 500 रुपये जम करवाने वाले व्यक्ति को आवंटि नहीं माना जा सकता।

इसके विपरीत अपीलांत का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांत को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।



इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांत द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि के बाबत रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड है व मौके पर उक्त रकबा खाली है व मुताबिक रिपोर्ट स्थगन, विवाद इत्यादी नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने के प्रश्न पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:-

Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no

801

राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर


pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जोकि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-01-2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि किसी अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं होने शुद्ध रूप से अराजीराज दर्ज होने की स्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा करवाते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 16.11.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर